न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 46/2024
निर्णय दिनांक 17.02.2025
जीसीएमएस नम्बर 2024/111

ज्यानादेवी पत्नी रामकिशन जात ब्राह्मण सारस्वत निवारी ग्राम जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1. निरमा पत्नी भागीरथ जाति जाट
2. पूजा पत्नी ओमप्रकाश जाति सुथार
3. भंवरी कंवर पत्नी अगरसिंह जाति राजपूत
4. संतोष देवी पत्नी राजाराम जाति सुथार
5. सरदारसिंह पुत्र अगरसिंह जाति राजपूत

निवासीगण जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक वादी।
2. श्री के. के. पुरोहित अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 2, 4 ता 5 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।
4. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी की ओर से दावा निम्न प्रकार से सादर प्रस्तुत है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 422 तादादी 8.6000 हैक्टेयर वाकेरोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है, उक्त खसरा भूमि वादिनी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी में चली आ रही है । वादगत खसरा भूमि में वादिनी के नाम 15/34 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिस पर सहअधिकार खातेदार काबिज चली आ रही है। वादगत खेत खसरा नम्बर 198/8 मीन तादादी 34 बीघा (मय गैरमुमकिन एक बीघा) बारानी वाकेरोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ की 5/6 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 5 सरदारसिंह के नाम तथा 1/6 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 3 भंवरीकंवर के नाम से रही है। वादिनी ने उक्त सरदारसिंह राजपूत से उनके 5/6 हिस्सा में से 15 बीघा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.11.2002 को खरीद किया था। वादिनी द्वारा उक्त खसरा भूमि में से 15 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निांक 07.11.2002 के द्वारा खरीद करने के बाद इन्तकाल संख्या 806 दिनांक 26.11.2002 को खोला गया जिसमें वादिनी के नाम उक्त खसरा भूमि में 15 बीघा भूमि का सही रूप से दर्ज किया गया यानि ज्यानादेवी पत्नी रामकिशन जाति ब्राह्मण सारस्वत के नाम रूप से इन्तकाल दर्ज किया गया । कालान्तर में खसरा नम्बर 298/8 के नये खसरा नम्बर 422 तादादी 8.6000 हैक्टेयर कायम हो चुके है और उक्त खसरा भूमि में वादिनी के नाम 15/34 हिस्सा के रूप में खातेदारी दर्ज है। राजस्व अमला द्वारा जब रोही जैसलसर के खसरा भूमि का ऑनलाईन किया गया तो वादिनी के द्वारा खरीद किए गये उक्त वक्त वर्तमान खसरा नम्बर 422 तादादी 8.6000 हैक्टेयर रोही ग्राम जैसलसर के राजस्व रिकार्ड में वादिनी की जाति बिलकुल ही गलत रूप से ब्राह्मण सारस्वत की जगह राजपूत अंकित कर दी गई जो कि राजस्व कर्मवारियों की लापरवाही व लिपिकीय भूल से हुई है। वादिनी अनपढ व ग्रामीण परिवेश की महिला है जिसने पांच दिन पहले अपने राजस्व रिकार्ड की आवश्यकता पड़ने पर रिकार्ड की जानकारी की तो उसे ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादिनी की जाति राजपूत दर्ज है तब वादिनी ने राजस्व रिकार्ड की समस्त प्रमाणित प्रतियां सम्बन्धित कार्यालय से दिनांक [illegible].01.2024 को प्राप्त की तो वादिनी को अपनी खातेदारी भूमि में गलत इन्द्राज की पूर्ण जानकारी हुई है। वादग्रस्त खसरा भूमि में वादिनी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:04:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है, वादिनी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि मौके पर सब का अलग–अलग कब्जा काश्त है तथा वादिनी की जाति राजस्व रिकार्ड में राजपूत गलत दर्ज हुई है, इसे सहमति से दुरूस्त करवाकर कब्जा, काश्त अनुसार खाता विभाजन करवा देवे तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम किसी प्रकार से खाता विभाजन नहीं करवायेगे, ना ही तुम्हारी जाति का गलत इन्द्राज दुरूस्त करवायेगे/करेगे। वादिनी वादगत खसरा भूमि में अपने खातेदारी हिस्से पर काबिज है। वादिनी के कब्जे काश्त भूमि के आसे–पासे इस प्रकार है।

उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
प्रतिवादी संख्या 2ता5	खसरा नं.	खेतो का रास्ता	प्रतिवादी सं.1

वादिनी अपने खातेदारी भूमि का हर प्रकार से उपयोग–उपभोग करने का अधिकार रखती है, प्रतिवादीगण येनकेन को प्रकारेण वादिनी को उसके हक हिस्से व कब्जे काश्त से बेदखल करने की धमकियां दे रहे है इसलिये वादिनी प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी है। साथ ही उपरोक्त खसरा की भूमि में अपनी सही जाति ब्राह्मण सारस्वत अंकित करवाकर रिकार्ड दुरूस्ती करवाने की कानूनन अधिकारिणी है। उपरोक्त खसरा भूमि में वादिनी की जाति राजपूत अंकित होने व खाता विभाजन नहीं होने के कारण वादिनी को उपरोक्त खसरा भूमि पर के.सी.सी. बनाने, ट्यूब बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादगत खेत के राजस्व रिकार्ड में वादिनी की जाति गलत अंकित कर दी गई है तथा प्रतिवादीगण ने सहमति से खाता विभाजन करवाने से दिनांक 08.02.2024 को इन्कार कर दिया । वादिनी को अपने खातेदारी भूमि का खाता विभाजन करवाने व जाति की अशुद्धि को शुद्धि करवाने का वादाधार व वादकारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त हुआ है। प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा राजस्व रिकार्ड में अशुद्धि की गई तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेश व डिक्री की पालना प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा की जानी है, इसलिये प्रतिवादी संख्या 6 को जरिये राज्य सरकार पक्षकार संयोजित किया गया है, राज्य सरकार के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सी.पी. सी. प्रेषित किया जाना आवश्यक है, परन्तु प्रतिवादीगण येनकेन प्रकारेण वादगत खसरा भूमि को खुर्द–बुर्द, रहन, वहन व हस्तान्तरण करने पर आमदा है, इसलिये वादिनी का दावा अतिआवश्यक प्रकृति का है, राज्य सरकार के विरूद्ध विशेष अनुतोष की मांग नहीं की गई, इसलिये धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावा दायरी की अनुमति न्यायालय श्रीमान्जी से ली गई है। वर्णित खसरा भूमि ग्राम जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त वाद की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दावा पूर्ण कोर्ट न्याय शुल्क व अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि वादिनी का दावा निम्न प्रकार से सादर डिक्री फरमाया जावे –

(क) कि खेत खसरा नम्बर 422 तादादी 8.3000 हैक्टेयर वाकेरोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित वादिनी के 15/34 हिस्सा का खाता विभाजन दावा की मद संख्या 6 में वर्णित आसा पासा के अनुसार करने की डिक्री जारी की जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में लगान जुदा करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 6 को दिया जाये।

(ख) कि खेत खसरा नम्बर 422 तादादी 8.6000 हैक्टेयर वाकेरोही जैसलसर में वादिनी के हिस्से व कब्जे काश्त भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखल अन्दाजी पैदा नहीं करे, इस बाबत चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री खिलाफ प्रतिवादीगण जारी की जाये ।

(ग) कि खेत खसरा नम्बर 422 तादादी 8.6000 हैक्टेयर वाकेरोही जैसलसर के राजस्व रिकार्ड में वादिनी की जाति राजपूत अंकित हो रखी है उसकी जगह सही व पूर्व रिकार्ड अनुसार जाति ब्राह्मण सारस्वत अंकित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 6 को दिया जाये और उसकी पालना प्रतिवादी संख्या 6 से करवाई जावे।

(घ) कि दावा का समस्त हर्जा खर्चा वादिनी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ड़) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादिनी हो या दौराने दावा हितकर वादिनी हो जावे, आज्ञाप्त फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally Signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:04:03 IST
Reason: SelfAttested

वादिनी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1,2,4,5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 3 के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। स्टेट की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में वादी एवं प्रतिवादीगण को जरिये राजीनामा से वाद को स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 422 तादादी 8.6000 हैक्टेयर रोही जैसलसर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादिनी की जाति राजूपत के स्थान पर वाहम्मण सारस्वत अंकित कर शुद्ध करनें एवं वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन प्रस्ताव विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखतें हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखतें हुए प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:04:03 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

ज्यानादेवी पत्नी रामकिशन जात ब्राह्मण सारस्वत निवासी ग्राम जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. निरमा पत्नी भागीरथ जाति जाट
2. पूजा पत्नी ओमप्रकाश जाति सुथार
3. भंवरी कंवर पत्नी अगरसिंह जाति राजपूत
4. संतोष देवी पत्नी राजाराम जाति सुथार
5. सरदारसिंह पुत्र अगरसिंह जाति राजपूत

निवासीगण जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ

मुकदमा नम्बर 46/2024

दावा बाबतः घोषणात्मक,चिरनिषेधाज्ञा, रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांकः 17.02.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री ललित कुमार मारू अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से के.के.पुरोहित व प्रतिवादी संख्या 03 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही एवं स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **कि खेत खसरा नंबर 422 तादादी 8.6000 हैक्टेयर रोही जैसलसर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादिनी की जाति राजूपत के स्थान पर बाहम्मण सारस्वत अंकित कर शुद्ध करनें एवं वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन प्रस्ताव विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखतें हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखतें हुए प्रस्तुत करें। तसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक17 माह02 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:04:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ